

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/4549 /

जबलपुर, दिनांक 06/08/2021

II-14-65/97

श्रीमती बिंदु चौपड़ा, सीनियर कम्प्यूटर प्रोग्रामर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर को कोविड-19 होने के कारण दिनांक 26.12.2020 से 06.02.2021 तक 43 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति  
महोदय के आदेशानुसार

सही / -

(राजेन्द्र कुमार वाणी)

रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक B/4550 /

जबलपुर, दिनांक 06/08/2021


II-14-65/97

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-ग्वालियर की ओर उन हे ज्ञापन क्रमांक 2029/स्था. ग्वालियर, दिनांक 23.06.2021 के संदर्भ में श्रीमती बिंदु चौपड़ा, सीनियर कम्प्यूटर प्रोग्रामर असिस्टेंट का आवेदन पत्र, संलग्न चिकित्सा पेपर्स को वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

2. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट, (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
3. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,
4. सहायक अवकाश, रथापना शाखा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
(प्रियदर्शन शर्मा)  
रजिस्ट्रार (प्रशा.)